**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

**संकल्प**

**विषयः— कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।**

राज्य में विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में समूह 'घ' में बड़ी संख्यां में उपलब्ध रिक्तियाँ एवं नियुक्ति में होने वाली कठिनाईयों के समाधान के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक समूह 'घ' के पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए सभी विभागों/कार्यालयों के समूह 'घ' के कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 % पदों पर संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों को संविदा के आधार पर अधिकतम 11 महीने के लिए नियोजित कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की जाती है :—

(i) कार्यालय परिचारी के कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षक संविदा के आधार पर नियोजित किए जा सकेंगे।

(ii) सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा अपनी अधियाचना आवश्यकतानुसार महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार को प्रेषित की जाएगी। प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के द्वारा अपनी अधियाचना संबंधित जिला के जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी को प्रेषित की जाएगी। उक्त अधियाचना में संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अनुभव इत्यादि का विवरण अंकित रहेगा ।

(iii) उपर्युक्त संविदा नियोजन राज्य सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। अतः संबंधित कार्यालय प्रधान अधियाचना भेजते समय आरक्षण कोटिवार अपनी अधियाचना भेजेंगे ।

(iv) संबंधित गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय ( महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी अथवा जिला समादेष्टा) के द्वारा उक्त अधियाचना के आधार पर रिक्त पदों के दोगुणा संख्या में गृह रक्षकों का पैनल संबंधित कार्यालय प्रधानों को प्रेषित किया जाएगा । संबंधित कार्यालय प्रधान उक्त पैनल में अंकित गृह रक्षकों की अन्तर्विक्षा लेकर अपने कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार सुयोग्य गृह रक्षकों का चयन कर उन्हें 11 माह के लिए संविदा के आधार पर नियोजित कर सकेंगे।

(v) उक्त नियोजन में राज्य के द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आरक्षण कोटिवार निर्धारित उम्र सीमा का ध्यान रखा जाएगा ।

(i) उक्त संविदा नियोजित गृह रक्षकों को उनके लिए गृह रक्षा वाहिनी में निर्धारित मानदेय देय होगा । यह नियोजन एकबार में 11 माह के लिए होगा, परन्तु संबंधित गृह रक्षक द्वारा संतोषप्रद कार्य किए जाने पर कार्यालय प्रधान के द्वारा उन्हें 11 माह के लिए पुनः नियोजित किया जा सकेगा। संविदा के आधार पर नियोजन की यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी होगी और संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(vi) उक्त संविदा नियोजन हेतु गृह रक्षकों के मानदेय का भुगतान संबंधित कार्यालयों के द्वारा ''व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के लिए अदायगियाँ'' मद से किया जाएगा ।

2. उपर्युक्त निर्देश तुरंत प्रभावी होंगे।

**आदेशः**— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना /पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महासमादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11/12

(डा0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–128/2011 17070 / पटना–15, दिनांक 11 . 12 . 2014

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / वित्त विभाग (ई–गजट शाखा) को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/12

(डा0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–128/2011 17070 / पटना–15, दिनांक 11 . 12 . 2014

प्रतिलिपि सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना /पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महासमादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/12

(डा0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)

सरकार के प्रधान सचिव